with allotment of land to Group Housing Societies, which will be according to the housing schemes administered by the Delhi Development Authority.

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये साईफन

241. **श्री रामलाल राही** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत बनी नहर स्वीकृत ड्राइंगो के अनुसार बनाई गई है ;

(ख) ड्राइंगों में दिखाई गई सख्या से कितने कम साईफन बनाए गए है ;

(ग) सभी साईफन न बनाए जाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या अपेक्षित संख्या मे साईफनों का निर्माण न किए जाने के कारण भूमि के रिसाव और जल भर जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप हजारो हैक्टेयर कृषि भूमि कृषि योग्य नही रह गई है ; और

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते समय केन्द्र सरकार को, स्वीकृत ड्राइंगो के अनुसार साईफनों के निर्माण की सशोधित योजना स्पष्ट कर दी थी ; और

(च) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (च) : सिचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न घटको की विस्तृत आयोजना तथा अनुवर्ती निर्माण-कार्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है। घाघरा बराज से शारदा बराज तक लिंक चैनल के लिए व्यवस्थित आठ साईफनों का निर्माण किया गया है। फीडर चैनल में, 42 क्रास ड्रेनेज निर्माण कार्यों में से 40 साइफन तथा दो जलवाहनी हैं। दो जलवाहनियों तथा 39 साइफनों का निर्माण किया जा चुका है। इस क्षेत्र के स्थलाकृति पर विचार करते हुए, बाराबंकी जिले में 121.8 किलोमीटर पर साइफन के स्थान पर इस जलग्रहण क्षेत्र से जल निकालने के लिए एक लिंक ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण किया गया है।

कमान क्षेत्र में जल रिसाव तथा बाढ़ की समस्या का कारण प्राकृतिक जल निकास के लिए चैनलो का अपर्याप्त होना है जिसके लिए अतिरिक्त जल निकास चैनलों का निर्माण किया जा रहा है। उपर्युक्त की रोशनी में साइफनों के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की कोई मांग नही की गई है।

Alteration in Date of Birth of Financial Advisor in FCI

242. SHRI RAMJIBHAI MAVANI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1960 on 5 December, 1983 regarding change in date of birth of Financial Advisor of F.C.I. and state :

(a) whether the question regarding alteration of the date of birth of the Financial Advisor (now Chief Commercial Manager) has been examined to ascertain its validity ;

(b) the time still required for examination if it is not completed yet ; and

(c) if already examined, the decision taken by Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (c). The whole issue is under examination and a decision will be taken shortly.

Action Taken Against Violaters of F.P.O.

243. SHRI RAMPRASAD AHIRWAR : Will the Minister of FOOD AND CIVIL